

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/5006

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 04.06.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मेवसिंह पुत्र
नगसिंह जाति
राजपुत निवासी
बीदासर पटवार
क्षेत्र बाड़मेर मगरा
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 गणेशकंवर पत्नि गुमानसिंह 2 जोगसिंह पुत्र कानसिंह 3
गुमानसिंह पुत्र भैरसिंह 4 खेतसिंह पुत्र भीखसिंह 5
लूणसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 6 कमलसिंह 7 पनेसिंह 8
ओमसिंह पिसरान जेतमालसिंह 9 रामकंवर पत्नि
हडवन्तसिंह 10 उदयकंवर पत्नि गोपालसिंह 11 नरपतसिंह
पुत्र भैरसिंह 12 बबलूकंवर पत्नि तनसिंह 13 मेघसिंह पुत्र
गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी रावल ढाणी, बीदासर
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 14 किशनचंद पुत्र गुरनामल जाति
सिन्धी निवासी बीदासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण 15
कल्पना 16 मन्थन 18 स्वाती पिसरान राजेश कुमार जाति
जोशी निवासी बाड़मेर तहसील बाड़मेर 18 सीतादेवी पत्नि
हरीश जाति दर्जी निवासी बीदासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 742/2024

दिनांक- 30/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 3098/2542 रकबा 7.3977 हेक्टर व खसरा संख्या
633 रकबा 0.0162 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 04.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5007 - 5010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मेवसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपुत निवासी बीदासर पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गणेशकंवर पत्नि गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी रावल ढाणी, बीदासर तहसील बाड़मेर
ग्रामीण।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर